

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
अधिसूचना

अ0सं0-1/अ0प्र0-1-18/2016 1642 /पटना, दिनांक- 25/3/24

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 (बिहार अधिनियम 19, 2015) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोजनार्थ डॉ० फातेह फैयाज, संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग बिहार पटना को विभागीय स्तर पर प्रथम अपीलीय प्राधिकार अधिसूचित किया जाता है।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(कुमार अनिल सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव

अ0सं0-1/अ0प्र0-1-18/2016 1643 /पटना, दिनांक- 25/3/24
प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव/सचिव सभी विभाग, सभी विभागाध्यक्ष/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली/महानिदेशक बिपार्ड/सभी प्रमंडल आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/अपर मिशन निदेशक बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सेसायटी, पटना/टी0सी0एस0 कोषांग वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

अ0सं0-1/अ0प्र0-1-18/2016 1643 /पटना, दिनांक 25/3/24
प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष सचिव के आप्त सचिव /अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव /सभी संयुक्त सचिव /सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/ सभी उप सचिव /सभी कार्यपालक अभियंता /सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, एवं आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

अ0सं0-1/अ0प्र0-1-18/2016 1643 /पटना, दिनांक- 25/3/24
प्रतिलिपि:- डॉ० फातेह फैयाज संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग बिहार, पटना/लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव